खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 442/2024

उनवान : भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सवाई सिंह व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,बाली

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 442/2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024/571

सायल :–

भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली

बनाम

गैर सायल :–

1. सवाई सिंह पुत्र श्री बाबुसिंह जाति राजपुरोहित निवासी नारवा तहसील खींवसर जिला नागौर मैसर्स : श्री संगम स्वीट होम मुख्य बाजार जवाई रोड सुमेरपुर (फर्म मेनेजर)
2. जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह निवासी ओल्ड बस स्टेण्ड सुमेरपुर मैसर्स श्री संगम स्वीट होम मुख्य बाजार जवाई रोड सुमेरपुर (फर्म मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.एस.ए एक्ट, 2006 नियम 2011

उपस्थिति :– 1. गैरसायल की ओर से अधिवक्ता श्री विश्वेन्द्र सिंह उपस्थित।

–:निर्णय:–

दिनांक: 16.12.2024

सायल द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत जुर्म दफा 26 की उपधारा (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के अन्तर्गत विरुद्ध अप्रार्थी दिनांक 07.10.2024 को दर्ज किया गया है। सायल भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली द्वारा दिनांक 21.03.2024 को दौराने गश्त 1.00 पी.एम. पर मैसर्स संगम स्वीट होम मुख्य बाजार जवाई रोड़ सुमेरपुर का निरीक्षण किया गया। दौराने निरीक्षण/जांच गैरसायल मैसर्स संगम स्वीट होम पर एक प्लेट में लगभग 3–4 किलो मिठाई कलाकन्द आमजन को विक्रय किये जाने हेतु रखा हुआ था। मिलावट का संदेह होने पर नियमानुसार मौके पर नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए फॉर्म नम्बर 5A भरकर स्वतंत्र गवाह की तलाश की किन्तु कोई गवाह मौजुद नहीं होने पर आनन्द कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी पाली कार्यालय हाजा को गवाह बनाकर हस्ताक्षर करवाए एवं प्रपत्र की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5 ए की एक प्रति मालिक सवाईसिंह को देकर यह सूचित किया कि उक्त नमूना वास्ते सरकारी जांच हेतु क्रय किया गया है।

मैसर्स संगम स्वीट होम पर एक प्लेट में रखी हुई मिठाई कलाकन्द 02 किलो वास्ते जांच हेतु क्रय कर जिसकी कीमत विक्रेता को 850/– रुपये नगद देकर रसीद प्राप्त की गई। उक्त मिठाई कलाकन्द को चार सुटेबल कंटेनर में बराबर मात्रा में भरकर प्रत्येक कंटेनर में फोरमेलिन की 40–40 बुन्द डालकर उसपर नियमानुसार विवरण स्लीप भरकर प्रत्येक कंटेनर पर चिपकाई। प्रत्येक कंटेनर को अलग–अलग चार मोटे व खाकी रंग के कागज में लपेट कर लपेटे गए कागज के दोनो सिरों को गोंद से चिपकाया।प्रत्येक नमूने पर अभिहित अधिकारी एवं मु.चि. एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली के हस्ताक्षर युक्त चार एक ही नम्बर की पेपर स्लीप आर–2265 लिखकर नमूने क विवरण अंकित किया गया। प्रत्येक नमूने को चारों तरफ से नियमानुसार मजबूत एवं मोटे धागे से बांधा गया। प्रत्येक नमूने पर चार चार ऊपर नीचें दाये बाएं चपडी लगाकर ब्रास

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 442/2024
उनवान : भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सवाई सिंह व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

सील से सील बंद किया। चारों सीलबंद पर नमूना विवरण अंकित कर प्रति नमूनों पर गैर सायल व गवाहों के हस्ताक्षर रेपरिंग पेपर व पेपर स्लीप क्रॉस करते हुए करवाए व मैंने भी हस्ताक्षर किये। मौके पर ही गैर सायल व गवाहों की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार कर मौके पर ही गैर सायल व गवाहों को पढ़कर सुनाई तथा उनके द्वारा मंजूर किये जाने पर गैर सायल व गवाहों के हस्ताक्षर करवाकर मैनें हस्ताक्षर किये।

नमूना विवरण आर–2265 जांच हेतु खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में भिजवाने हेतु फॉर्म नम्बर 6 पर नमूना सील जिसका प्रयोग सैम्पल लेते वक्त नमूना सील करने में उपयोग किया गया था अंकित कर तैयार किया। एक प्रति नमूने के साथ रखकर आउटर कवर के साथ उसी ब्रास सील से किया जिसका प्रयोग इन चारों नमूनों को सील बंद करने में किया गया एवं आउटर कवर पर नमूना विवरण अंकित किया गया। एक लिफाफे में फॉर्म नम्बर 6 की दो प्रति रखकर खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर का पता अंकित कर ब्रास सील द्वारा लिफाफे को सील बंद किया। आउटर कवर सील नमूना एवं सीलबंद मेरे स्वयं द्वारा दिनांक 22.03.2024 को खाद्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। नमूनों के शेष दिवितय,तृतीय एवं चतूर्थ भाग मय फॉर्म नम्बर 6 की एक एक प्रति आउटर कवर में लपेटते हुए ब्रास सील से सील कर सील्ड अवस्था में अभिहित अधिकारी मु.चि. एवं स्वा. अधिकारी पाली को 21.03.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त मिठाई कलांकद नमूना संख्या आर–2265 के संबंध में प्रदत्त रिपोर्ट एल.एस. 360/एक्ट/2024/414 दिनांक 04.04.2024 की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि उक्त **मिठाई कलाकंद** खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। नमूना सख्या आर–2265 अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i) Food Safety and Standards Act-2006 के तहत अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया। जांच की प्रति जरिये नोटीस श्री संगम स्वीट होम सुमेरपुर जिला पाली को जरिये डाक से प्रेषित कर सूचना दी गई कि उक्त नमूनें को पुनः जांच करवाना चाहते हो तो पत्र प्राप्ति के 30 दिन के भीतर–भीतर अभिहित अधिकारी पाली के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकते हों। निर्धारित अवधि में उक्त फर्म द्वारा अपील प्रस्तुत नहीं की गई। गैरसायल द्वारा अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति की मिठाई कलाकंद विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया गया हैं। जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 तहत दण्डनीय है।

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को जरिये नोटीस सूचित किया गया। नियत दिनांक को गैरसायल मय अधिवक्ता उपस्थित हुए। प्रर्याप्त अवसर प्रदान करने के उपरांत भी गैर सायलान द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला जोधपुर ने नमूना संख्या आर–2265 के संबंध में प्रदत्त रिपोर्ट एल.एस. 360/एक्ट/2024/414 दिनांक 04.04.2024 की जांच रिपोर्ट के FSSAI manuals of methods of analysis 3861 of Foods, 2016. Milk and Milk Products. के Test में Reichert Value of Extracted fat. की मात्रा 15.5 पाई गई जबकि निर्धारित मानक अनुसार 24 से कम नहीं होना चाहिए था। नमूना संख्या आर–2265 अन्तर्गत धारा 3(1)(zf)(c)(i)Food Safety and Standards Act-2006 के तहत अवमानक (Sub-Standard) प्रकृति का पाया गया, जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 एवं नियम, 2011 के निर्धारित मापदण्ड के अनुरुप नहीं है। गैरसायल द्वारा Sub-

Scanned with OKEN Scanner

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 442/2024
उनवान : भूराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी बनाम सवाई सिंह व अन्य प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 विनियम 2011

Standard प्रकृति की खाद्य सामग्री का विक्रय करके एफ.एस.एस.ए. एक्ट 2006 की धारा 26(2)(ii) का उल्लंघन किया है तथा धारा 52 के तहत शास्ति योग्य है।

परिणाम स्वरुप सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) के तहत् स्वीकार किया जाता है तथा गैरसायल द्वारा Sub- Standard प्रकृति की खाद्य सामग्री का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 52 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 श्री सवाई सिंह पुत्र श्री बाबुसिंह उम्र 34 वर्ष, जाति राजपुरोहित निवासी नारवा (खींवसर, नागौर) मैसर्स श्री संगम स्वीट होम मुख्य बाजार जवाई रोड़ सुमेरपुर (फर्म मेनेजर) पर 10,000/— अक्षरे दस हजार रुपये, तथा अप्रार्थी संख्या 2 श्री जोगेन्द्रसिंह पुत्र श्री गणपतसिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ओल्ड बस स्टेण्ड सुमेरपुर (फर्म मालिक) पर 10,000/—रुपये कुल 20,000/— रुपये अक्षरे बीस हजार रुपये की शास्ति अधिरोपित की जाती हैं। साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210—चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04—लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानुन के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि" मे जमा करवाकर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि सायल व गैरसायल को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

क्रमांक/कोर्ट/खा.सु.प्र.स.442/2024/2024/1601-1603 दिनांक : 16/12/24

प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:—

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जनस्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर
3. श्री भूराराम गोदारा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

Scanned with OKEN Scanner